FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मुकाम जोधपुर

वादीगणः—

जेठूसिह

बनाम

प्रतिवादीगणः—

लालसिह

किस्म मुकदमा रेस्टोरेशन आदेश 09 नियम 09 सीपीसी मुकदमा नम्बर 105/2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
24.12.2020	अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 09 सीपीसी का प्रस्तुत किया है जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि दिनांक 16.01.2020 को वादी अधिवक्ता ने अपने जुनियम अधिवक्ता को नोटिस पेश करने व तारीख पेशी पर उपस्थित होने को कहा गया लेकिन सहायक अधिवक्ता लंच के पूर्व ही न्यायालय में उपस्थित हुए थे परन्तु इस न्यायालय की पुकार पर अनुपस्थित होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है । प्रार्थी अधिवक्ता ने आगे बताया कि दिनांक 16.01.2020 को बाद कोरोना महामारी होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नही हो सके। इसलिए किसी न्यायालय में अधिवक्ता की गलती के कारण पक्षकार का न्याय से वंचित किया जाना उचित नही है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर रखा है अंत में प्रार्थना प प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी को रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल वाद रेस्टोर फरमाया जावे। प्रार्थी को सुना गया । प्रार्थी द्वारा बताया गया अकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर स्थगन प्रार्थना पत्र सख्या 162/2010 जेठूसिह बनाम लालसिह को पुनः बरामद कर उसे नए नम्बर पर दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ सलग्न हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर	